



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222र 5153223र 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(16)शिक्षा/ग्रुप-3/2021

जयपुर, दिनांक:- 22.06.2021

—: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 380.01 से 380.10 की अनुपालना में निम्नांकित महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ किये जाने की सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	नवीन संकाय/विषय	स्वीकृत पदों की संख्या	
1	राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण, (जैसलमेर)	2202-03-103 -03-00	विज्ञान	सहायक आचार्य	05
				प्रयोगशाला सहायक	04
				प्रयोगशाला वाहक	04
2	राजकीय महाविद्यालय सपोटरा(करौली)	2202-03-796 -01-00	विज्ञान एवं कृषि	सहायक आचार्य	10
				प्रयोगशाला सहायक	08
				प्रयोगशाला वाहक	08
3	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोतरा(बाडमेर)	2202-03-103 -02-00	स्नातक स्तर- विज्ञान	सहायक आचार्य	05
				प्रयोगशाला सहायक	04
				प्रयोगशाला वाहक	04
			स्नातक स्तर- हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र	सहायक आचार्य	02
			स्नातकोत्तर स्तर- भूगोल, इतिहास	सहायक आचार्य	04
4	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	2202-03-103 -02-00	स्नातक स्तर- संगीत व गृह विज्ञान	सहायक आचार्य	02
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा(राजसमंद)	2202-03-103 -02-00	स्नातकोत्तर स्तर- भूगोल	सहायक आचार्य	02
6	राजकीय महिला महाविद्यालय, नाथद्वारा(राजसमंद)	2202-03-103 -03-00	स्नातकोत्तर स्तर- अंग्रेजी साहित्य	सहायक आचार्य	02
7	राजकीय महाविद्यालय, बयाना(भरतपुर)	2202-03-103 -02-00	विज्ञान	सहायक आचार्य	05
				प्रयोगशाला सहायक	04
				प्रयोगशाला वाहक	04
8	राजकीय महाविद्यालय, बौली(बामनवास), सवाईमाधोपुर	2202-03-103 -02-00	वाणिज्य	सहायक आचार्य	03
9	राजकीय महाविद्यालय, दूद(जयपुर)	2202-03-103 -02-00	वाणिज्य	सहायक आचार्य	03
10	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी(जयपुर)	2202-03-789 -01-00	स्नातक स्तर- समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत	सहायक आचार्य	03
11	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर(श्रीगंगानगर)	2202-03-103 -03-00	स्नातकोत्तर स्तर- राजनीति विज्ञान, इतिहास, पंजाबी	सहायक आचार्य	06
12	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	2202-03-103 -02-00	स्नातकोत्तर स्तर- व्यावसायिक प्रशासन	सहायक आचार्य	02
13	राजकीय महिला महाविद्यालय, जैसलमेर	2202-03-103 -03-00	स्नातकोत्तर स्तर- समाजशास्त्र		02
			कुल योग		96

2021


कृ.प.उ.

(1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु 96 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय इन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। उक्त राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(2) सोसाइटी के गठन होने तक उक्त महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102102566 दिनांक 18.06.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/ 90)/आयो/आकाशि/2021-22/ 742

दिनांक: 28/06/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा को प्रेषित कर लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन संकाय /विषयों में बिना विलम्ब शुल्क संबद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
13. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन/अकादमी), कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
16. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

